न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 16/2017

अपीलांट

श्री वीयाराम पुत्र धनाजी, जाति कलबी, आयु 60 निवासी गुंदवाडा तहसील रेवदर जिला सिरोही।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. श्री जोगाराम पुत्र मनाजी जाति मेघवाल, आयु वयस्क निवासी गुदंवाडा तहसील रेवदर जिला सिरोही।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्री तहसीलदार साहब रेवदर तहसील रेवदर जिला सिरोही।
3. पटवारी हल्का गुन्दवाडा तहसील रेवदर जिला सिरोही।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री प्रकाश प्रजापत विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री नगेन्द्र मेडतिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक: 06.05.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपील संख्या 10/2017 वीयाराम बनाम जोगाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम गुंदवाडा पटवार हल्का गुन्दवाडा तहसील रेवदर जिला सिरोही में वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 53 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा के संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को अपनी खातेदारी की बताते हुए प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

के तहत प्रस्तुत तहसीलदार रेवदर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार रेवदर द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय द्वारा खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई गौर नही किया गया। अपीलांट व अन्य द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व अन्य के विरूद्ध धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2015 को निर्णय पारित किया, जिसके विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। जो कि हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उक्त अपील में तहसीलदार रेवदर पक्षकार है। उक्त प्रकरण की जानकारी होते हुए तहसीलदार रेवदर द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अपीलांट वीयाराम के कब्जे काश्त खसरा नंबर 53 की भूमि सहित अडौस–पडौस की खसरा भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा छल कर अपीलांट व अन्य पडौसीयान के कब्जे काश्त की उक्त कृषि भूमि को आवंटन विधि विरूद्ध करवाया है। जिसकी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते हुए तहसीलदार रेवदर द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में न रखते हुए बिना अपीलांट के तर्को को सुने जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व ग्राम गुंदवाडा पटवार हल्का गुन्दवाडा तहसील रेवदर जिला सिरोही में वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 53 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा के संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को अपनी खातेदारी की बताते हुए प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत प्रस्तुत तहसीलदार रेवदर के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार रेवदर द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय द्वारा खारिज किया गया। जो कि विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हल्का पटवारी गुन्दवाडा से मौके की सीमांकन रिर्पोट दिनांक 12.06.2017 के अनुसार मौके पर वीयाराम का रेस्पोडेन्ट जोगाराम की खातेदार भूमि खसरा नंबर 53 रकबा 1.15 बीघा पर कब्जा पाया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2015 को खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। जो कि हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जिसका हस्तगत प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं है। अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

खातेदारी आराजी पर अनाधिकृत रूप से काबिज है जिसके आधार पर वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183बी की उल्लघंन की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा तहसीलदार सिरोही के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट के विरूद्ध पेश किया जिस पर तहसीलदार सिरोही द्वारा राजस्व ग्राम गुंदवाडा पटवार हल्का गुन्दवाडा तहसील रेवदर जिला सिरोही में वादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 53 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा काश्त होना पाये जाने से अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए अपने आदेश दिनांक 27.06.2017 द्वारा जुर्माना आरोपित करते हुए वसूली, बेदखली हेतु पटवारी हल्का गुन्दवाडा/भूअभिलेख मण्डार को आदेश प्रदान किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश द्वारा अपीलांट अपील खारिज कर तहसीलदार सिरोही के निर्णय को यथावत रखने के आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हल्का पटवारी गुन्दवाडा से मौके की सीमांकन रिर्पोट दिनांक 12.06.2017 के अनुसार मौके पर वीयाराम का रेस्पोडेन्ट जोगाराम की खातेदार भूमि खसरा नंबर 53 रकबा 1.15 बीघा पर कब्जा पाया गया है। इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (ख) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि "किसी उपबंध में कुछ भी बात होते हुये भी वह अतिक्रमी(अतिचारी) जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाए रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर जो कि उसे बेदखल कराने के हकदार हो (या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर) बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिए जिसमें कि वह ऐसे कब्जे में रहा है, शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक लगाान से (पचास गुनी) तक हो सकेगी।" हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अनुसूचित जाति के खातेदार जोगाराम की आराजी पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (ख) के उल्लघंन की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित जैर अपील निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (ख) के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत पारित किया गया है जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपील संख्या 10/2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-सिरोही

वीयाराम बनाम जोगाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प सिरोही